रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1994/चैत्र 9, 1916
No. 154] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1994/CHAITRA 9, 1916

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1994

का. आ. 271(अ)— बाट तथा माप मानक (सामान्य) नियम, 1987 के नियम 18, 19 व 20 के साथ पठित बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) की धारा 22 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

इसके द्वारा फ्रीमैन्स मैसर्स प्राइवेट लिमिटेड, फिरोजपुर रोड, लुधियाना-141001 को केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित गैर मानक बाटों तथा मापकों का विनिर्माण करने की अनुमति देती है, अर्थात् :—

(1)	धातुतार युक्त टेप माप	1 मी. से. 50 मी.
(2)	फाइबर ग्लास टेप माप	1 मी. से 50 मी.
(3)	स्टील टेप माप	1 मी. से 50 मी.
(4)	स्टील रूल और टेप रूल	1 मी. से 50 मी.

यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

(1) केवल निर्यात के लिए बनाए गए अथवा विनिर्मित कोई भी गैर-मानक बाट या मापक जैसा कि ऊपर (1) व (4) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, भारत की सीमा के भीतर बेचे अथवा किसी भी अन्य रूप में वितरित नहीं किए जाएंगे।

(2) पंचांग वर्ष के अंत में फर्म, केन्द्रीय सरकार को एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें उसके द्वारा निर्यात किए गए गैर-मानक बाटों अथवा मापकों की मात्रा तथा उन व्यक्तियों का ब्यौरा दिया गया होगा जिन्हें ये निर्यात किए गए हैं।

(3) फर्म उसके द्वारा विनिर्मित गैर-मानक बाटों अथवा मापकों, निर्यात किए जा चुके बाटों व मापकों की संख्या तथा स्टाक में पड़े अथवा उत्पादन के अधीन बाटों अथवा मापकों की संख्या का मासिक रिकार्ड रखेगी। इस प्रकार रखा गया रिकार्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

(4) यह अनुमति इस आदेश के प्रकाशन होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी।

[फा. संख्या डब्ल्यू एम 20(5)/93]
मती नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1994

S.O. 271 (E).—In exercise of the powers contained by the proviso to Section 22 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) read with rules 18, 19 and 20 of the Standards of Weights and Measures (General) Rules, 1987 Central Government hereby permits M/s. Freemans Measures

Private Limited, Ferozepur Road, Ludhiana-141001 to manufacture the following non-standard weights or measures exclusively for export purposes, namely :—

(i) Metal Wire measuring tapes 1 m to 50 m.

(ii) Fibreglass measuring tapes 1 m to 50 m.

(iii) Steel Measuring tapes 1 m to 50 m.

(iv) Steel rules and tape rules 1 m to 50 m.

This permission is subject to the following conditions, namely :—

1. No non-standard weights or measures made or manufactured exclusively for export, as specified in (i) to (iv) above shall be sold or otherwise distributed within the territory of India.

2. The firm shall maintain a monthly record of the number of such non-standard weights or measures manufactured by it, number of weights and measures already exported by it and number of weights or measures in stock or under production. The record so maintained shall be open to inspection by an officer authorised by the Central Government in this behalf.

3. The firm shall submit to Central Government at the end of the calender year, a statement as to the quantity of the non-standard weights or measures exported by it and the particulars of the person to whom such export has been made.

4. This permission shall be valid for a period of one year from the date of publication of this order.

[F. No. WM-20 (5)/93]
SATHI NAIR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994